

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-10/2017/बी-2-906/दस-2017-2/2017 पंचायती राज अनुभाग-3 की पत्रावली सं0-100(15)/2015 टी०सी०, दिनांक 22 मई, 2017 के द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-61 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रु0-185250.00 लाख में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं अगस्त) के लिये धनराशि रु0 7718750.00 लाख की 5 प्रतिशत (ए०टी०आर० में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15 प्रतिशत धनराशि संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु को छोड़कर 94.85 प्रतिशत धनराशि रु0 73212.34 लाख (रु० सात सौ बत्तीस करोड़ बारह लाख चौंतीस हजार मात्र) संस्तुति संख्या-57 के अनुसार की स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त के क्रम में उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ०प्र० के पत्रांक 1004/33-सेल/2017, दिनांक 29 मई, 2017 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सलग्न किश्तों की फॉट के अनुसार माह जुलाई, 2017 हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि रु0 1464246800.00 (रुपया एक अरब छियालीस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) जिला पंचायतों को दिये जाने की उक्त शासनादेश दिनांक 22 मई, 2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1-जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ सलग्न सूची में इगित जिले के सम्मुख कालम संख्या-3 में जिला पंचायतों के लिए आवंटित धनराशि के अनुसार पांच बराबर किश्तों में (प्रथम व द्वितीय किश्त तत्काल तथा शेष 3 किश्ते माह जून, जुलाई व अगस्त, 2017) आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। प्रथम एवं द्वितीय किश्त हेतु धनराशि रु0 2928493600.00 मात्र लेखा एवं बजट अनुभाग के आवंटन आदेश संख्या-1/245/2017-1/119 /2017 दिनांक 30 मई, 2017 तथा तृतीय किश्त हेतु धनराशि रु0-1464246800.00 मात्र पत्र संख्या-1/245/1/2017-1/119/2017 दिनांक 08 जून 2017 द्वारा आवंटित की जा चुकी है। शासनादेशानुसार माह जुलाई 2017 हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि रु0 1464246800.00 (रुपया एक अरब छियालीस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी।

2-धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना वाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेगें।

3-आवंटित की जा रही धनराशि उपभोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमत्य नहीं होगा।

4—पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, द्वारा आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा की जायेगी तथा वे इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196—जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03—राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301—सामान्य समनुदेशन-28—समनुदेशन” के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-92 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(विजय किरण आनन्द)

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

संख्या:-1/245/3/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ० प्र० शासन।
2. वित्त, संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन को संदर्भित पत्र दिनांक 22.05.2017 के क्रम में।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
6. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्डिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
8. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-21100।
9. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, जापलिंग रोड, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 29.05.2017 के क्रम में।
10. उपनिदेशक (पंचायत)/नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
11. एस०पी०एम०य०, पंचयतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

पंचायती राज, उ०प्र०।